अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती राहत नाज पत्नी सैयद अतहर अली जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर, राजस्थान ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती शाहीनी बानो पत्नी महजर अली
2. महजर अली पुत्र सैयद अतहर अली
   निवासी प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर, राजस्थान

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.2023 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 43/2022 ब–उनवानी श्रीमती राहत नाज बनाम श्रीमती शाहीनी बानो व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
   प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांक 18.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 43/2022 ब–उनवानी श्रीमती राहत नाज बनाम श्रीमती शाहीनी बानो व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.06.2023 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। । तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यथीगण की तामील नहीं होने पर अखबार के माध्यम से तामील कराई गई । प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी की सुनी गई।
4. अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थिया की पुत्रवधु व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का व्यवहार शादी के बाद से ही अपीलार्थिया प्रति अत्यन्त कूर एवं प्रताड़ना पूर्ण रहा है। अपीलार्थी अत्यधिक वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक महिला है। अपीलार्थी के पास आय का कोई पुख्ता स्त्रोत नहीं है । प्रत्यर्थी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

संख्या 1 व 2 की शारीरिक व मानसिक यातनाओं से परेशान होकर अपीलार्थिया द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 4 व 5 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थिया व उसके पति के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली गलौच नहहीं करने हेतु पाबन्द करने, एवं अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर, से बेदखल करने का अनुतोष चाहा था किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थिया के तथ्यों को नजरअन्दाज कर केवल दुर्व्यवहार, मारपीट व गाली गलौच नही करने हेतु ही पाबन्द किया गया। अपीलार्थिया के मकान से बेदखल करने का अनुतोष स्वीकार नही किया । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर, से प्रत्यर्थी संख्या संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने का आदश फरमावें। ताकि अपीलार्थी अपना शेष जीवन शान्ति से गुजार सके।

5. अपीलार्थी के प्रतिनिधि की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर विवादित सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर, से प्रत्यर्थीगण को बेदखली करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी के स्वामित्व की है । माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर बी–799 संजय नगर, पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर, से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपीलार्थी व उसके पति से दुर्व्यवहार, गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पावन्द किया जाता है ।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner